



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(मिनिरल कम्पनी-भारत सरकार का उपक्रम)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

जिला — श्रीगंगानगर (राज0)

दूरभाष : 01509.220084, 220006, 221420,

मुख्यालय — बीज भवन, पूसा परिसर,

नई दिल्ली-12

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

Central State Farm, Suratgarh

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 01509-220084, 220006, 221420,

E-mail - csf.suratgarh@indiaseeds.com

H.O. : Beej Bhawan, Pusa complex, New Delhi -12



क्र.: सीएसएफ/एसओजी/कृषि/2-271/जुली/2024

दिनांक: 22.10.2024

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज.) द्वारा फार्म के 3 खंडों के चकों में विलायती कीकर(जूलीफ्लोरा) की झाड़ियाँ जमीनी सतह से काटकर एवं कुतर बना कर “जहाँ है जैसा है” के आधार पर ले जाने व जूलीफ्लोरा की जड़ों को निकालकर ले जाने के लिये इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों से सीलबंद ऑफलाइन निविदाएँ दिनांक 30.10.2024 को दोपहर 01:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं जो उसी दिन (दिनांक 30.10.2024) दोपहर 03:00 बजे खोली जायेंगी। निविदाएँ देने से पहले NEFT/RTGS/Online माध्यम से (जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के नाम देय हो) रु. 236/- निविदा फॉर्म राशि व रु. 10,000/- प्रति चक के हिसाब से धरोहर राशि के रूप में जमा करवानी होगी। निविदादाता को आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रति देनी होगी। निविदा हेतु विस्तृत विवरण, निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्तें निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती हैं। अन्य नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में सुबह 09:30 बजे से सायं 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

सहायक प्रबंधक (उत्पादन)

Check list for Technical Requirement of Tender

<u>Particulars</u>	<u>Details</u>
Name of the Tenderer	
Father Name of the Tenderer	
Full Address of the Tenderer	
Mobile No. of the Tenderer	
Copy of Pan Card	
Copy of ID Proof i.e. Aadhar Card/Driving License etc.	
Copy of Bank Passbook	

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के तीनों खण्डों के विभिन्न चकों पर खड़ी विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ियां जमीनी सतह से काटकर एवं कुत्तर बना कर ले जानें हेतु नियम एवं शर्तें।

1. निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पूर्व NEFT/RTGS/ऑनलाइन के माध्यम से **रु0 10,000/-** मात्र प्रत्येक चक के **हिसाब** से धरोहर राशि व रु. 236/- निविदा फॉर्म राशि के रुप में फार्म खाते में (नियम-शर्त क्रमांक 25 के अनुसार) जमा कराना होगा, बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी।
2. निविदादाताओं को अपना स्थायी पते का साक्ष्य (आधार कार्ड), पैन कार्ड व बैंक पास बुक की छायाप्रति जिस पर आईएफएससी कोड अंकित हो को निविदा के साथ संलग्न करनी अनिवार्य हैं।
3. सफल निविदादाता को समझौते के साथ सुरक्षा राशि (security money) रु. 10,000/- जमा करवानी होगी। उक्त राशि में EMD की राशि भी समायोजित की जा सकती है। सफल निविदादाता के द्वारा जमा की गई धरोहर/सुरक्षा राशि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद ही लौटाई जायेगी, जिस पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
4. निविदा की उच्च निविदा दर की स्वीकृति/अस्वीकृति एक सप्ताह के अंदर घोषित कर दी जायेगी। फार्म प्रमुख को बिना कारण बताये किसी एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
5. ठेकेदार को जो उक्त कार्य आवंटित किया गया है, वह दूसरे ठेकेदार को कार्य सबलेट नहीं करेगा तथा उस कार्य क्षेत्र में वह संदिग्ध व्यक्तियों को नहीं रखेगा। उक्त कार्य पर लगाये जाने वाले प्रतिनिधि, जिसको वह कार्य करने के लिए अधिकृत करता है, उसके हस्ताक्षर मय फोटो **अखरे रुपये पचास के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी** से तस्दीक करवाकर, उसकी मूल प्रति देगा तथा छाया प्रति जोकि वह फार्म पर कार्य के दौरान अपने पास अवश्य रखेगा व कार्य स्थल पर मांगने पर दिखायेगा।
6. विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ियां जमीनी सतह से काटकर कुत्तर बनाने की दर प्रति किंवटल देनी होगी, सरकार के द्वारा यदि किसी भी प्रकार का कर इस कार्य पर देय होगा, तो खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा।
7. कटाई का कार्य एक सिरे से करना होगा, एवं छोटा-मोटा जो भी जूलीफ्लोरा खड़ा है उसे काट कर कुत्तर बनाकर ले जाना होगा। पूरा कार्य चक इन्चार्ज की देख-रेख एवं निर्देशानुसार करना होगा।
8. विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ियां जमीनी सतह से काटकर कुत्तर बनाने का कार्य चक रोड एवं खाली क्षेत्र में ही किया जाना है। चकों में हुई बीजाई के दृष्टिगत चकों के बीच में यह कार्य नहीं होगा। यदि अनुबंध की समयावधि में फसल की कटाई हो जाती है तब फसल कटाई के बाद बीच के क्षेत्र से भी जुलीफ्लोरा की कटाई ठेकेदार द्वारा आवश्यक रूप से करनी होगी।
9. विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ियां जमीनी सतह से काटकर प्राप्त कुत्तर ले जाना होगा। ठेकेदार को अग्रिम रकम जमा कराकर रिलीज ऑर्डर लेकर ले जाना होगा। अन्तिम रिलीज आदेश से पूर्व 100.00 कुण्टल भार से कम का रिलीज आदेश किसी भी हालात में जारी नहीं किया जायेगा।
10. चक पर विलायती कीकर की कुत्तर बनाने का कार्य खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी के निर्देशानुसार करना होगा। कार्य का क्षेत्र घटाया/बढ़ाया जा सकता है।
11. वाहनों को आने जाने के लिये जो रास्ता निर्धारित है ठेकेदार उसी का उपयोग करेगा, वह अलग से कोई रास्ता नहीं बनाएगा। ठेकेदार या उसका आदमी किसी भी प्रकार का झगड़ा/विवाद फार्म कर्मचारी के साथ नहीं करेगा। ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा किसी प्रकार का नुकसान फार्म को किया गया तो उसका सम्पूर्ण जिम्मेवार ठेकेदार ही होगा तथा निदेशक द्वारा लगाया गया दण्ड/जुर्माना, ठेकेदार द्वारा देय होगा।
12. पूरी ट्राली को एक ही दिन में भर कर तौल कर ले जाना होगा। खण्ड-1 के माल का वजन खण्ड-1 के धर्मकाटों पर और खण्ड-2 व 3 का माल खण्ड-2 के धर्मकाटों पर करना होगा।
13. कटाई से पूर्व फार्म खाते में धनराशि जमा करवाकर व उचित गेट पास द्वारा ही जुलीफ्लोरा कुत्तर ले जाने की अनुमति होगी।
14. ठेकेदार फार्म में विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) के अतिरिक्त खड़े या गिरे हुए पेड़ों की शाखाओं की लकड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुँचायेगा। यदि उसके द्वारा कोई नुकसान पहुँचाया जाता है तब नियम-शर्त संख्या 16 के अनुसार फार्म द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

15. लदाई/उतराई आदि के समय कोई दुर्घटना हो जाये तो इसके लिए पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी, फार्म कतई जिम्मेवार नहीं होगा। ठेकेदार के श्रमिकों के हर प्रकार की जिम्मेवारी जैसे Insurance & Driving License इत्यादि पूर्ण रूप से ठेकेदार की होगी।
16. यदि ठेकेदार द्वारा टेन्डर की नियम-शर्तों की अवहेलना की जाती है या फार्म संपत्ति/खड़े या गिरे हुए पेड़ व उसकी शाखाओं को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ठेकेदार का कार्य तुरंत प्रभाव से रोक दिया जायेगा, फार्म द्वारा जाँच के उपरांत यदि यह पाया गया की ठेकेदार या उसके श्रमिक की गलती के कारण फार्म को नुकसान पहुँचा है तब ठेकेदार की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व गलती की गंभीरता के अनुसार फार्म द्वारा जुर्माना लगाकर काली सूची में डाला जा सकता है।
17. ठेकेदार द्वारा अनुबंध किये गये चक पर जुलीफलोरा की कटाई व कुत्तर का कार्य पूर्ण होने से पहले बिना किसी संतोषजनक कारण के कार्य रोक दिया जाता है तब उसे फार्म द्वारा एक चेतावनी पत्र जारी किया जायेगा, उसके उपरांत एक सप्ताह तक यदि ठेकेदार कार्य रोक कर रखता है तब उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा साथ ही उसकी धरोहर/सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी व ठेकेदार को काली सूची में भी डाला जा सकता है। चक पर शेष बच हुआ कार्य उन्ही दरों पर अन्य ठेकेदार से करवाया जायेगा।
18. कार्य का समय सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। कुत्तर को ले जाने हेतु तुलाई का कार्य सायं 5 बजे से पूर्व करना होगा। असामान्य स्थिति में जैसे ट्रैक्टर, ट्राली खराब इत्यादि होने पर फार्म प्रमुख की स्वीकृति से समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।
19. कार्य के दौरान ठेकेदार के द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसके लिए फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा।
20. वर्क आर्डर जारी होने के बाद कार्य को 10 दिनों में शुरू करना होगा अन्यथा आवंटित कार्य रद्द कर अन्य इच्छुक ठेकेदार को दे दिया जायेगा व धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
21. वेस्ट मैटरियल, कॉटे इत्यादि को जलाकर साफ करना अनिवार्य होगा तथा इसके बाद ही आगे कार्य करने दिया जायेगा। फार्म क्षेत्र में कोई पशु नहीं रख सकता।
22. आवंटित कार्य को पूरा करने की अवधि 31 मार्च 2025 तक रहेगी जो कि श्रीमान फार्म प्रमुख की सहमति के बाद बढ़ाई जा सकती है।
23. फार्म के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ यदि ठेकेदार या उसकी लेबर के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा।
24. कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार को 500-00 रुपये का स्टाम्प पेपर अपने खर्चे से खरीद कर, सभी शर्तों को वर्णित कर अपने हस्ताक्षर करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा कि उसे सभी शर्तें मान्य है तथा इसके अनुसार ही कार्य करूँगा।
25. फर्मों द्वारा भुगतान केवल RTGS/NEFT या अन्य ऑनलाइन माध्यम से फार्म खाते में जमा करना होगा। फार्म खातों का विवरण निम्न प्रकार है –

Account No : 34056542572

IFSC Code : SBIN0007774

Name of Account holder: NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD SURATGARH

Bank Name : **State Bank of India, Suratgarh**

26. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

पार्टी का नाम/हस्ताक्षर

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के तीनों खण्डों के विभिन्न चकों पर खड़ी विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की जड़ें निकालकर ले जानें हेतु नियम एवं शर्तें।

1. निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पूर्व NEFT/RTGS/ऑनलाइन के माध्यम से ₹ 10,000/- मात्र प्रत्येक चक के हिसाब से धरोहर राशि के रूप में फार्म खाते में (नियम-शर्त क्रमांक 24 के अनुसार) जमा करवानी होगी, बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी।
2. निविदादाताओं को अपना स्थायी पते का साक्ष्य (आधार कार्ड), पैन कार्ड व बैंक पास बुक की छायाप्रति जिस पर आईएफएससी कोड अंकित हो को निविदा के साथ संलग्न करनी अनिवार्य हैं।
3. सफल निविदादाता के द्वारा जमा की गई धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद ही लौटाई जायेगी, जिस पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
4. निविदा की उच्च निविदा दर की स्वीकृति/अस्वीकृति एक सप्ताह के अंदर घोषित कर दी जायेगी। फार्म प्रमुख को बिना कारण बताये किसी एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
5. ठेकेदार को जो उक्त कार्य आवंटित किया गया है, वह दूसरे ठेकेदार को कार्य सबलेट नहीं करेगा तथा उस कार्य क्षेत्र में वह संदिग्ध व्यक्तियों को नहीं रखेगा। उक्त कार्य पर लगाये जाने वाले प्रतिनिधि, जिसको वह कार्य करने के लिए अधिकृत करता है, उसके हस्ताक्षर मय फोटो अखरे रूपये पचास के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से तस्दीक करवाकर, उसकी मूल प्रति देगा तथा छाया प्रति जोकि वह फार्म पर कार्य के दौरान अपने पास अवश्य रखेगा व कार्य स्थल पर मांगने पर दिखायेगा।
6. विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की जड़ें काटकर ले जाने की दर प्रति क्विंटल देनी होगी, सरकार के द्वारा यदि किसी भी प्रकार का कर इस कार्य पर देय होगा, तो खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा।
7. जड़ निकालने का कार्य एक सिरे से करना होगा एवं छोटी-मोटी जो भी जूलीफ्लोरा की जड़ें हैं उसे निकालकर ले जाना होगा। पूरा कार्य चक इन्चार्ज/ब्लॉक इंचार्ज की देख-रेख एवं निर्देशानुसार करना होगा।
8. जूलीफ्लोरा की जड़ों को निकालने का कार्य चक रोड, खाली क्षेत्र एवं जहाँ फाल का नुकसान न हो, में ही किया जाना है। फसल कटाई के बाद पूरे क्षेत्र से जड़ें निकालनी होगी।
9. ठेकेदार को सिर्फ विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की जड़ों को निकालकर ले जाना होगा। ठेकेदार को अग्रिम रकम जमा कराकर रिलीज ऑर्डर लेकर जाना होगा। अन्तिम रिलीज आदेश से पूर्व 100.00 कुण्टल भार से कम का रिलीज आदेश किसी भी हालात में जारी नहीं किया जायेगा।
10. ठेकेदार को कार्य करने का आदेश मिलने के बाद तुरंत अपने साधन लगाकर कार्य शुरू करना होगा। कार्य का क्षेत्र फार्म द्वारा घटाया/बढ़ाया जा सकता है।
11. वाहनों को आने जाने के लिये जो रास्ता निर्धारित है ठेकेदार उसी का उपयोग करेगा, वह अलग से कोई रास्ता नहीं बनाएगा। ठेकेदार या उसका आदमी किसी भी प्रकार का झगड़ा/विवाद फार्म कर्मचारी के साथ नहीं करेगा। ठेकेदार या उसके आदमीयों द्वारा किसी प्रकार का नुकसान फार्म को किया गया तो उसका सम्पूर्ण जिम्मेवार ठेकेदार ही होगा तथा निदेशक द्वारा लगाया गया दण्ड/जुर्माना, ठेकेदार द्वारा देय होगा।
12. पूरी ट्राली को एक ही दिन में भर कर तौल कर ले जाना होगा। खण्ड-1 के माल का वजन खण्ड-1 के धर्मकाटों पर और खण्ड-2 व 3 का माल खण्ड-2 के धर्मकाटों पर करना होगा।
13. जड़ें निकालने के उपरांत फार्म खाते में धनराशि जमा करवाकर व उचित गेट पास द्वारा ही जड़ों को ले जाने की अनुमति होगी।
14. लदाई/उतराई आदि के समय कोई दुर्घटना हो जाये तो इसके लिए पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी, फार्म कतई जिम्मेवार नहीं होगा। ठेकेदार के श्रमिकों के हर प्रकार की जिम्मेवारी जैसे Insurance & Driving License इत्यादि पूर्ण रूप से ठेकेदार की होगी।
15. कार्य का समय सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। जड़ों को ले जाने हेतु तुलाई का कार्य सायं 5 बजे से पूर्व करना होगा। विशेष परिस्थितियों में यदि कार्य में देरी होती है तब संबंधित हेड गार्ड व चक इंचार्ज को सूचित करना होगा। असामान्य स्थिति में जैसे ट्रैक्टर, ट्राली खराब इत्यादि होने पर श्रीमान फार्म प्रमुख की स्वीकृति से समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।

16. कार्य के दौरान ठेकेदार के द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसके लिए फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा।
17. ठेकेदार द्वारा विलायती कीकर (जुलीफ्लोरा) की जड़ों को निकालकर प्रति क्विंटल दर फार्म खाते में जमा करवाकर ले जाना होगा, जुलीफ्लोरा की जड़ों के अतिरिक्त फार्म में खड़े व गिरे हुए पेड़ों या उनकी जड़ों तथा जमीनी सतह से ऊपर जुलीफ्लोरा की लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा।
18. जुलीफ्लोरा की जड़ों को निकालने के बाद बने गड्ढों को भरकर समतल करना अनिवार्य होगा।
19. यदि ठेकेदार द्वारा टेन्डर की नियम-शर्तों की अवहेलना की जाती है या फार्म संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ठेकेदार का कार्य तुरंत प्रभाव से रोक दिया जायेगा, फार्म द्वारा जाँच के उपरांत यदि यह पाया गया की ठेकेदार या उसके श्रमिक की गलती के कारण फार्म को नुकसान पहुँचा है तब ठेकेदार की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व गलती की गंभीरता व फार्म को हुए आर्थिक नुकसान के अनुसार फार्म द्वारा जुर्माना लगाया जायेगा व साथ ही पार्टी को काली सूची में डाला जा सकता है।
20. वर्क आर्डर जारी होने के बाद कार्य को सात दिनों में शुरू करना होगा अन्यथा आवंटित कार्य रद्द कर अन्य इच्छुक ठेकेदार को दे दिया जायेगा व धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
21. आवंटित कार्य को पूरा करने की अवधि 31 मार्च 2025 तक रहेगी जो कि श्रीमान फार्म प्रमुख की अनुमति के बाद बढ़ायी जा सकती है।
22. फार्म के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ यदि ठेकेदार या उसकी लेबर के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
23. कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार को 500-00 रुपये का स्टाम्प पेपर अपने खर्चे से खरीद कर, सभी शर्तों को वर्णित कर अपने हस्ताक्षर करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा कि उसे सभी शर्तें मान्य है तथा इसके अनुसार ही कार्य करेगा।
24. फर्मों द्वारा भुगतान केवल RTGS/NEFT या अन्य ऑनलाइन माध्यम से फार्म खाते में जमा करना होगा। फार्म खातों का विवरण निम्न प्रकार है –

Account No : 34056542572

IFSC Code : SBIN0007774

Name of Account holder: NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD SURATGARH

Bank Name : **State Bank of India, Suratgarh**

25. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

पार्टी का नाम/हस्ताक्षर

निविदा - प्रपत्र

श्रीमान फार्म प्रमुख
केन्द्रीय राज्य फार्म,
सूरतगढ़ (राज0)।

चकों पर विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ियां जमीनी सतह से काटकर एवं कुत्तर बना कर "जहाँ है जैसा है" के आधार पर ले जाने व जूलीफ्लोरा की जड़ों को निकालकर ले जाने के लिए टेण्डर फार्म -

खंड व चक संख्या	जूलीफ्लोरा कुत्तर हेतु रकम प्रति क्विंटल रुपयों में (जो निविदादाता द्वारा फार्म को दी जानी है)	खंड व चक संख्या	जूलीफ्लोरा जड़ों हेतु रकम प्रति क्विंटल रुपयों में (जो निविदादाता द्वारा फार्म को दी जानी है)
खंड-1		खंड-1	
BRP-I		BRP-I	
BRP-III		35 STG	
35 STG		38 STG	
38 STG		40 STG	
40 STG		42 STG	
42 STG		44 STG	
44 STG		खंड-2	
खंड-2		33 PBN	
RPM-II		खंड-3	
RPM-III		EPO	
RPM-IV		-	
33 PBN			
खंड-3			
34 PBN			
3 SGM			
EPO			

टेकेदार के हस्ताक्षर

टेकेदार का नाम व पता.....

मोबाईल नं0